राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषय:– **<u>राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 29/06/2022 को संपन्न 413वीं बैठक का कार्यवाही विवरण</u>**

----00----

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: **412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: **गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति/टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स भौता क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री विपिन चौहान), ग्राम–भौता, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1940)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 257582/2022, दिनांक 20/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 14/03/2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भौता, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 402, कुल क्षेत्रफल–1.1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 7,800 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स माँ बेरीवाली स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर– श्री सुनील अग्रवाल), ग्राम–लखना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1966)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 73696/ 2022, दिनांक 15/03/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–लखना, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 594, 595, 596, 597/1, 597/2, 598/1, 598/2, 599, 600/1, 600/2, 601, 602/2, 602/3, 602/4, 602/5, 602/6, 602/7, 602/8, 602/9, 602/10, 602/12, 602/13, 603, 609/1, 609/2, 609/3, 610/1, 610/2, 610/3, 610/4, 612/1, 612/2, 613/2, 616/1, 616/2, 617/1, 617/3, 617/4, 617/5, 617/6, 618/1, 618/2, कुल क्षेत्रफल – 10.519 हेक्टेयर में स्पंज आयरन

(डीआरआई किल्न) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष, इण्डक्शन फर्नेस विथ मैचिंग सीसीएम (बिलेट्स/इंगॉट्स/हॉट बिलेट्स) क्षमता – 1,18,800 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल (85 प्रतिशत थ्रू हॉट चार्जिंग विथ हॉट बिलेट्स एण्ड शेष 15 प्रतिशत थ्रू रि–हीटिंग फर्नेस) क्षमता–1,15,500 टन प्रतिवर्ष), एम.एस. पाईप प्लांट क्षमता–1,00,000 टन प्रतिवर्ष, गैसीफायर फॉर रि–हीटिंग फर्नेस क्षमता–3,500 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा, डब्ल्यूएचआरबी आधारित पॉवर प्लांट – 5 मेगावाट एफबीसी आधारित पॉवर प्लांट – 5 मेगावाट एवं ब्रिक मेन्युफेक्चरिंग यूनिट–8,700 ब्रिक्स प्रतिदिन की स्थापना करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की विनियोग रुपये 12.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि प्रस्ताव में परिवर्तन एवं संयंत्र विन्यास (Plant Configuration) में परिवर्तन के कारणों से आवेदित प्रकरण को वापस लिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स भगवती स्टोन (प्रो.– श्रीमती मिंकी अग्रवाल, घनसुली लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–घनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1849)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69850/ 2021, दिनांक 07/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 23/03/2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर, स्थित खसरा क्रमांक – 543/13, 544/3, 544/1, 545/1 एवं 545/2, कुल क्षेत्रफल–1.71 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 40,836.6 टन (16,334.64 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 24/06/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 5317/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 11/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान–** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1056/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 29/10/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 47 खदानें, क्षेत्रफल 72.87 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1056/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 29/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ. आई. कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/624/ख.लि./तीन–6/उ.प./2021 रायपुर, दिनांक 26/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./रा/720 रायपुर, दिनांक 06/04/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर की आकाशीय दूरी से अधिक दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धनसुली 830 मीटर, स्कूल ग्राम–धनसुली 1 कि.मी. एवं अस्पताल तिल्दा 16.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17.75 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.1 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 1.3 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,12,250 टन, माईनेबल रिजर्व 3,38,837 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,32,060 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,747 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,088.25 घनमीटर है, जिसमें से 1,709 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष 1,379.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि पर भंडारित कर रखा जायेगा। ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.75 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,264.75 घनमीटर है। आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग रेम्प, हॉल रोड एवं पहुंच मार्ग के रख–रखाव हेतु एवं शेष ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि पर भंडारित कर रखा जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,670	षष्टम	40,057.5
द्वितीय	40,807.2	सप्तम	40,108.95
तृतीय	40,792.5	अष्टम	40,084.45
चतुर्थ	40,836.6	नवम	3,959.2
पंचम	40,829.25	दशम	3,915.1

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 948 नग प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 10/12/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 08/12/2021 को सूचना भी दी गई थी।

16. समिति का मत है कि ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1056/ख. लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 29/10/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 47 खदानें, क्षेत्रफल 72.87 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) का रकबा 1.71 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) को मिलाकर कुल रकबा 74.58 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

   iii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.

   iv. Project proponent shall obtain the permission from DGMS and submit an affidavit that controlled blasting shall be done by Explosive License Holder & incorporate the permission in the EIA report.

   v. Project proponent shall submit the LOI extension copy at the time of final EIA.

   vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing during public hearing.

   vii. Project proponent shall submit the noise modeling (incorporating in the mining operation, vehicular movement during mine operation, control blasting etc.).

   viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

   ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost etc.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स कुरदी फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अरविन्द कुमार जैन), ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1908)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 250835/2022, दिनांक 10/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 24/03/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 314/1, 314/2 एवं 403, कुल क्षेत्रफल–1.74 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 19,200 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरविन्द कुमार जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 147बी/खनि.लि./उ.प. आवेदन/2021 बालोद, दिनांक 06/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 17 खदानें, क्षेत्रफल 20.417 हेक्टेयर है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स (पार्टनर– श्री गौतम चंद जैन), ग्राम–तालपुर, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1971)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 263256 / 2022, दिनांक 24 / 03 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–तालपुर, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 35 / 1, 35 / 2, 35 / 5, 35 / 6, 35 / 10, 35 / 11, 35 / 12, 35 / 15, 35 / 17 एवं 35 / 20, कुल क्षेत्रफल–2.956 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 06 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29 / 06 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आनंद गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक / 108 /ख.लि. / खनिज / उ.प. / 2022 कबीरधाम, दिनांक 02 / 02 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 5.808 हेक्टेयर है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स गोण्डपेण्ड्री लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती संगीता तिवारी), ग्राम–गोण्डपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1930)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 72173 / 2022, दिनांक 11 / 02 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22 / 02 / 2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 28 / 03 / 2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोण्डपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 363, 364 / 2, 365 / 2, 367 / 2, 367 / 3, 368, 369, 370, 371, 372, एवं 373 कुल क्षेत्रफल–1.85 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,125 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–चिराईपानी एवं पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1421)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 57560/ 2020, दिनांक 18/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 210698/ 2021, दिनांक 20/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–चिराईपानी एवं पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 17, 19, 20/1, 20/2, 27, 29, 31/2, 31/3, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7 एवं 85, कुल क्षेत्रफल – 15.327 हेक्टेयर (37.87 एकड़) में स्पंज आयरन प्लांट (2x95 टीपीडी डीआरआई किल्न) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष, इण्डक्शन फर्नेस (5x12 टन) (हॉट बिलेट्स /एमएस बिलेट्स/एमएस इंगाट्स) क्षमता–1,98,000 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल (2x300 टीपीडी) (टीएमटी बार/स्ट्रक्चरल स्टील/रोल्ड प्रोडक्ट) क्षमता – 1,92,000 टन प्रतिवर्ष (90 प्रतिशत हॉट चार्जिंग आधारित एवं 10 प्रतिशत री–हीटिंग फर्नेस आधारित), पॉवर प्लांट – 20 मेगावाट {डब्ल्यू.एच.आर.बी. बेस्ड (2x12 टीपीएच) – 5 मेगावाट एवं एफ.बी.सी.बेस्ड (1x72 टीपीएच) – 15 मेगावाट} के पर्यावणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना हेतु विनियोग की कुल लागत 120 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(डी) थर्मल पॉवर प्लांट्स एवं श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है। तत्पश्चात् एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 एवं 18/01/2022 द्वारा टीओआर (लोक सुनवाई सहित) में संशोधन जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अभिषेक जैन, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री वाय. महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम–चिरईपानी में उद्योग की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत लाखा का दिनांक 29/07/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उद्योग की स्थापना एवं आवागमन के लिए सड़क का उपयोग किये जाने हेतु ग्राम पंचायत पाली में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने बाबत् आवेदन किया गया है।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–चिराईपानी 0.7 कि.मी. एवं शहर रायगढ़ 8.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–चिराईपानी 0.7 कि.मी., अस्पताल ग्राम–गेरवानी 0.7 कि.मी. एवं निकटतम रेल्वे स्टेशन किरोडिमल 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। केलो नदी 2.2 कि.मी. एवं गेरवानी नाला 3 कि.मी. है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

   - उर्दना आरक्षित वन 0.15 कि.मी., तराईमल आरक्षित वन 3 कि.मी., बरकछार आरक्षित वन 2.7 कि.मी. एवं रैबो आरक्षित वन 5.2 कि.मी. तथा लाखा संरक्षित वन 1.5 कि.मी., डुंगापानी संरक्षित वन 3.3 कि.मी., खैरीडुंगरी संरक्षित वन 3.6 कि.मी., बरिला संरक्षित वन 5.6 कि.मी., जुनवानी संरक्षित वन 7.1 कि.मी., धिरवानी संरक्षित वन 6.6 कि.मी., केराडुंगरी संरक्षित वन 5.3 कि.मी., पुंजीपथरा संरक्षित वन 6.7 कि.मी. एवं पजहर संरक्षित वन 9.5 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना बताया गया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। भूमि संबंधी दस्तावेज एवं लेण्ड डायवर्सन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 15.327 हेक्टेयर (37.87 एकड़) है, जिसमें से प्लांट का क्षेत्रफल 6.047 हेक्टेयर, रॉ–मटेरियल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 1.214 हेक्टेयर, प्रोडक्ट स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर, ठोस अपशिष्ट वेस्ट स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर, आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 0.882 हेक्टेयर, हरित पट्टिका का क्षेत्रफल – 5.364 हेक्टेयर (35 प्रतिशत), वॉटर रिजर्वायर एवं आर.डब्ल्यू.एस. का क्षेत्रफल 0.202 हेक्टेयर तथा पार्किंग का क्षेत्रफल 0.202 हेक्टेयर है।

5. प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु विभिन्न संयंत्रों का विवरण निम्नानुसार है:–

S. N.	Unit (Product)	Configuration	Production capacity
1.	DRI klin (Sponge Iron)	2x 95 TPD	62,700 TPA
2.	Induction Furnace (MS Ingots/Hot Billets/MS Billets)	5x12 T	1,98,000 TPA
3.	Rolling Mill (TMT Bars/ Structural Steels / Rolled Products)	2x300 TPD	1,92,000 TPA
4.	WHRB based Power Plant	2x12 TPH	5 MW
5.	FBC based Power Plant	1x72 TPH	15 MW

6. रॉ–मटेरियल :–

S. No.	Raw Material		Quantity (TPA)	Mode of Transport
1.	**For DRI Kilns (Sponge iron) - 62,700 TPA**			
a.	Iron ore		1,00,320	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
b.	Coal	Indian	81,510	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
		Imported	56,430	Through Sea & Rail Route
c.	Dolomite		3,135	By Road (Through Covered Trucks)
2.	**For Steel Melting Shop (MS Billets/ Ingots/ Hot Billets) - 1,98,000 TPA**			
a.	Sponge iron		1,65,000	Own generation and remaining from nearby industries by Road (Through Covered Trucks)
b.	Scrap		70,000	By Road (Through Covered Trucks)
c.	Ferro alloys		3,000	By Road (Through Covered Trucks)
3.	**For Rolling Mill (TMT Bars/ structural Steels) - 1,92,000 TPA**			
a.	Hot Billets/MS Billets/ Ingots		1,98,000	Own generation and remaining from nearby industries by Road (Through Covered Trucks
b.	LDO		9,600 (KL)	Nearby HPCL/IOCL depots by Road
c.	Coal for Gasifier (Producer Gas - 11,500 NM^3/Hr)	Indian	38,400	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
		or		
		Imported	24,600	Through Sea Route, Rail Route & By Road
4.	**For FBC Boiler (Power Generation 15 MW)**			
a.	Indian coal (100%)		1,06,920	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
			OR	
b.	Imported Coal		68,536	Through Sea Route / Rail Route / By Road

OR				
c.	Dolochar + Indian Coal	Dolochar	18,180	Own generation through Covered Conveyors
		Indian Coal	97,515	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
OR				
d.	Dolochar + Imported coal	Dolochar	18,180	Own generation through Covered Conveyors
		Imported Coal	59,131	Through Sea Route / Rail Route / By Road

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन इकाई) के साथ डब्ल्यु.एच.आर.बी. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर एवं 57 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एफ.बी.सी. आधारित प्रस्तावित पॉवर प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीपिटेटर एवं 61 मीटर ऊंची चिमनी प्रस्तावित है। इण्डक्शन फर्नेस के साथ सी.सी.एम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फयूम एक्सट्रेक्षन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी प्रस्तावित है। रोलिंग मिल (री–हिटिंग फर्नेस आधारित) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 45 मीटर ऊंची चिमनी प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन इकाई), एफ. बी.सी. आधारित प्रस्तावित पॉवर प्लांट, इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम तथा एफ. बी.सी. आधारित प्रस्तावित पॉवर प्लांट से एस.ओ.$_{एक्स}$ एवं एन.ओ.$_{एक्स}$ का उत्सर्जन 100 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इम्पोर्टेड कोल मेसर्स आरयन मिनरल्स एण्ड मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड से किये गये एम.ओ.यू. की प्रति प्रेषित की गयी है।

9. हॉट चार्ज मोड में प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किया जायेगा, जिससे फिनॉलिक वेस्ट वॉटर उत्पन्न नहीं होगा। यदि फिनॉलिक वेस्ट वॉटर उत्पन्न होगा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस.ओ.पी. के तहत् डीआरआई किल्न के आफ्टर बर्निंग चेंबर में फिनॉलिक वेस्ट वॉटर जलाया जायेगा तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस.ओ.पी. के तहत् फिनॉलिक वेस्ट वॉटर का संचालन, भण्डारण एवं निपटान (Handling, Storage and Disposal) किया जायेगा।

10. **प्रस्तावित इकाई हेतु प्रदूषण भार की गणना संबंधी विवरण –**

Stack Emissions details of all stacks				
Stack attached to	**Height**	**PM (in TPA)**	**SO_2 (in TPA)**	**NO_2 (in TPA)**
DRI Kiln with WHRB (2x95 TPD) combined stack	57	45.6 (22.8 per flue)	980.8 (490.4 per flue)	302.2 (151.1 per flue)
Induction Furnaces (2x12 Tonnes) combined stack	30	9.7 (4.85 per flue)	-	142.6 (71.3 per flue)
Induction Furnaces (2x12	30	9.7 (4.85 per	-	142.6 (71.3 per

Tonnes) combined stack		flue)		flue)
Induction Furnaces (1x12 Tonnes)	30	4.85	-	71.3
Rolling Mill (2x300 TPD) combined stack	44	13.46 (6.73 per flue)	764.2 (382.10 per flue)	188.2 (94.1 per flue)
FBC Boiler (15 MW) 72 TPH Boiler	61	27.5	91.67	91.67
Total		**110.81**	**1,836.7**	**938.57**

11. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S. No.	Waste	Quantity (TPA)	Method of Disposal
For Sponge Iron plant			
1.	Ash from DRI	11,286	Will be given to cement plant & bricks manufacturers
2.	Dolochar	18,180	Will be used in FBC power plant as fuel
3.	Kiln Accretion Slag	564	Will be used in road construction & given to brick manufacturers
4.	Wet scrapper sludge	2,884	Will be used in road construction & given to brick manufacturers.
For Induction Furance			
5.	SMS Slag	19,800	Slag from SMS will be crushed in slag crushing unit and iron will be recovered & remaining non-magnetic material being inert by nature will be used as sub base material in road construction
For Rolling Mill			
6.	End Cutting	2,180	Will be reuse in the SMS
7.	Mill Scales	1,920	Mill scale will be given to nearby Ferro alloys manufacturing units or casting units.
8.	Ash (with Indian Coal + dolochar)	55,168	Ash generated will be given to cement plants / bricks manufacturers
9.	Ash (with Imported Coal + dolochar)	17,199	Ash generated will be given to cement plants / bricks manufacturers

12. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 657 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, स्पंज ऑयरन प्लांट हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन, इण्डक्शन फर्नेस हेतु 72 घनमीटर प्रतिदिन, रोलिंग मिल हेतु 115

घनमीटर प्रतिदिन, कोल गैसीयफायर 10 घनमीटर एवं पॉवर प्लांट हेतु 400 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 300 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 29/12/2024 तक है। शेष जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – स्पंज ऑयरन प्लांट एवं इण्डक्शन फर्नेस से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में किया जाना प्रस्तावित है। गैसीयफायर से उत्पन्न दूषित जल 2 घनमीटर प्रतिदिन को डी.आर.आई. किल्न में उपयोग में किया जाना प्रस्तावित है। पॉवर प्लांट से उत्पन्न दूषित जल 153 घनमीटर प्रतिदिन के उपचार हेतु ई.टी.पी. की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना से घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 1,08,596.94 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 4 मीटर एवं गहराई 6 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

13. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – प्रस्तावित परियोजना हेतु 24.2 मेगावॉट (डीआरआई किल्न 1 मेगावॉट, स्टील मेल्टिंग शॉप 17.5 मेगावॉट, रोलिंग मिल 3.6 मेगावॉट, कोल गैसीफायर 0.1 मेगावॉट, डब्ल्यूएचआरबी आधारित पॉवर प्लांट 0.5 मेगावॉट, एफबीसी आधारित पॉवर प्लांट 1.5 मेगावॉट) विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 5.364 हेक्टेयर (35 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण के रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना

आवश्यक है। साथ ही ओपन एरिया में भी हरियाली निर्माण किया जाना आवश्यक है।

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
उद्योग परिसर में वृक्षारोपण हेतु	**पौधों की संख्या**	**2,500**	**5,000**	**2,500**	**2,000**	**1,000**
	वृक्षारोपण हेतु राशि	5,12,500	9,10,000	5,02,500	4,44,000	2,46,000
	खाद हेतु राशि	1,25,000	2,75,000	1,52,500	1,34,000	73,000
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	2,92,000	3,21,200	3,52,070	3,87,752	4,27,722
कुल राशि = 51,55,244		**9,29,500**	**15,06,200**	**10,07,070**	**9,65,752**	**7,46,722**

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिसम्बर 2020 से फरवरी 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टीं के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_{एक्स}$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	25.9	45.7	60
PM_{10}	44.6	77.4	100
SO_2	10.1	19.7	80
NO_X	11.2	38.8	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	45.8	54.6	75
Night L_{eq}	37.2	42.1	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 15,978 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना

उपरांत 427 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 16,405 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

16. **वन्यप्राणी संरक्षण योजना** – 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैवविविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के आदेश क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध–533/68 नवा रायपुर दिनांक 21/05/2022 के द्वारा रूपये 67 लाख (5 वर्ष में) की वन्य प्राणी संरक्षण योजना के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत की गई है। वन्य प्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित राशि रूपये 67 लाख (5 वर्ष में) एकमुश्त जमा करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को आदेशित किया गया है। समिति का मत है कि वन्यप्राणीयों के संरक्षण हेतु तैयार पांच वर्षीय योजना की राशि बहुत कम प्रतीत हो रही है, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में राशि बहुत ही कम प्रस्तावित है, जिसे और बढ़ाया जाये। वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रतिवर्ष प्रस्तावित राशि, कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप हो। प्रस्तावित लौह उद्योग आरक्षित एवं संरक्षित वनों से घिरा हुआ है और यह वन, हाथियों तथा अन्य वन्य प्राणीयों के स्थायी आश्रय एवं रहवास स्थल है, जहां सदैव वन्यप्राणी आश्रय पाते हैं। किसी उद्योग की आयु कम से कम 30 वर्ष मानी गई है। इससे अधिक भी हो सकती है। यह उद्योग 24 घंटे और वर्षभर कार्यरत रहेगा। इसके फलस्वरूप पर्यावरण पर प्रभाव भी सतत् बना रहेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रारंभिक चरण में 5 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई, उसके पश्चात् उद्योग की आयु (30 वर्ष) तक प्रत्येक 5 वर्ष में "पुनःरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना" तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राणीयों के रहवास वनों को, उद्योग के मिट्टी, जल, वायु, ध्वनि एवं प्रकाश के प्रदूषण जनित प्रतिकूल प्रभावों से एवं उद्योग जनित अत्यधिक जैविक दबाव से संरक्षित किया जा सके। उद्योग जनित तापक्रम बढ़ने से जंगलों में आग लगने की घटनायें भी होती है।

वन्यप्राणीयों की समुचित सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं उनके रहवास का संरक्षण एवं प्रबंधन एक बार (one time) किये जाने वाला कार्य नहीं है और न ही यह केवल 5 वर्ष का कार्य है। बल्कि यह सतत् किये जाने वाले कार्य है और जब वन्यप्राणीयों का स्थायी रहवास औद्योगिक प्रदूषण से सतत् प्रभावित हो रहा हो तो और अधिक गहन वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Wildlife Conservation and Management) की सतत् आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रदूषित वातावरण में उनके रहवास की भी गहन संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Habitat Protection, Conservation & Management Plan) योजना की सतत् आवश्यकता होती है।

दीर्घ अवधि की वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अभाव में दीर्घ अवधि की पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने के एक वर्ष पूर्व आगामी 5 वर्षों के लिए "समुचित वन्यप्राणी संरक्षण प्रबंधन योजना" तैयार कर विधिवत् सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संरक्षण योजना की राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ से परामर्श उपरांत "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा

की जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाए। इसके पश्चात् ही आगामी कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उनके प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों से–

   i. वन भूमि पट्टिका (Forest Land Scape) में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जावेगा।

   ii. वन प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

   iii. कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्थानीय ग्रामीणों की वन आधारित आजिविका प्रभावित होती हो।

18. लोक सुनवाई दिनांक 23/10/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान – बंजारी मंदिर के समीप का मैदान, ग्राम–तराईमल, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 11/02/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. औद्योगिक इकाई स्थापित होने के कारण निकलने वाले धुएं से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होगी, जिससे ग्रामवासियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य जीवन पर विपरीत असर पड़ेगा। साथ ही वायु एवं जल प्रदूषण समस्या बढ़ जाएगी।

   ii. कोविड–19 महामारी के कारण केवल 100 व्यक्तियों को ही अपना विचार प्रकट करने की अनुमति प्रदान है, जबकि जनसुनवाई का अर्थ ही लोगों की सुनवाई अर्थात् उद्योग स्थल के आस–पास के लोगों की सुनवाई है। इस प्रकार वर्ग विशेष को वंचित करना तथा व्यक्ति विशेष को स्थान देना पूरी तरह अनुचित है। साथ ही उद्योग स्थापित करने व विस्तार से विभिन्न परेशानियां जैसे बढ़ती यातायात, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण अपने शीर्ष पर है।

   iii. जनसुनवाई का कार्यक्रम उद्योग से 8 कि.मी. दूर निर्धारित किये जाने के कारण संबंधित ग्राम पंचायत के केवल 30 प्रतिशत व्यक्ति ही उपस्थित हो पाये है। अतः जनसुनवाई को निरस्त किया जाये।

   iv. इस क्षेत्र में हाथियों का आवागमन है।

   v. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

   vi. गाड़ियों के आवागमन एवं वाहन क्षमता से अधिक क्षमता के भार वाले वाहन के कारण दुर्घटना होने की संभावना है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

   i. प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन इकाई) के साथ डब्ल्यु.एच.आर.बी. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर एवं 57 मीटर ऊंची चिमनी (स्थापित किया

जाना प्रस्तावित है। एफ.बी.सी. आधारित प्रस्तावित पॉवर प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीपिटेटर एवं 61 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इण्डक्शन फर्नेस के साथ सी.सी.एम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्षन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। रोलिंग मिल (री–हिटिंग फर्नेस आधारित) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 45 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। उद्योग के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाएगा।

ii. भारत सरकार द्वारा कोविड–19 में लोक सुनवाई हेतु दिशा निर्देशानुसार कराई जा रही है। शासन द्वारा दिशा निर्देश के अनुपालन में एक स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक प्रवेश सीमित था तथा उपस्थिति 100 व्यक्तियों से अधिक होने की दशा में समुचित दूरी पर दो पृथक–पृथक पण्डाल लगाये गये थे, जिससे सभी को अपना अभिमत रखने का अवसर मिल सके। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु इण्डक्शन फर्नेस इकाईयों में उपयुक्त दक्षता की बेग फिल्टर स्थापित किया जाएगा। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।

iii. जनसुनवाई का स्थल अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (additional district magistrate) द्वारा निर्धारित किया गया। निर्धारित दिनांक, समय एवं स्थल पर जनसुनवाई का कार्यक्रम अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के तहत् किया गया।

iv. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) के अनुमोदन उपरांत रूपये 67,00,000 लाख (5 वर्ष में) वन विभाग के माध्यम से व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

v. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

vi. वाहन क्षमता के अनुसार ही उद्योग द्वारा माल ढुलाई तथा उत्पादों का परिवहन किया जाएगा।

20. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
12000	2%	240	Following activities at, 25 Government Schools, 1 ITI & Village- Pali	
			Pavitra Van Nirman at Village-Pali	102.61
			Rain Water Harvesting	70.55
			Environmental Awareness Program	27.00
			Potable Drinking Water Facility	18.90
			Running Water Facility for Toilets	6.30
			Plantation with fencing	16.32
			Total	**241.68**

(अ) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत देलारी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 87/1, क्षेत्रफल 11.392 हेक्टेयर में से 8.2 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसारः–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
ग्राम–पाली में (पवित्र वन निर्माण) वृक्षारोपण हेतु	**पौधों की संख्या**	**17,820**	**3,564**	**3,564**	**3,564**	**3,564**
	वृक्षारोपण हेतु राशि	36,53,100	6,48,648	7,16,364	7,91,208	8,76,744
	फेंसिंग हेतु राशि	5,70,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	8,91,000	71,280	78,408	85,536	96,228
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	2,92,000	3,21,200	3,53,320	3,89,365	4,26,162.9
कुल राशि = 1,02,60,563.9		**54,06,100**	**10,41,128**	**11,48,092**	**12,66,109**	**13,99,134.9**

(ब) पवित्र वन निर्माण के अतिरिक्त सी.ई.आर. के सभी कार्य (1) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–गोरखा, (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–संगीतराई, (3) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–चटमुरा, (4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–घाटामुरा, (5) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–समरूमा, (6) आई.टी.आई. ग्राम–घडघोड़ा, (7) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–झिगोल, (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–चेदोरिया, (9) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–पड़कीतराई, (10) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–देलरी, (11) शासकीय पूर्व

माध्यमिक शाला ग्राम–देलरी, (12) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–चुहकीमार, (13) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सराईपाली, (14) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–घोरमुण्डी, (15) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–शिवपुरी, (16) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–गेरवानी, (17) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–उज्जलपुर, (18) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–तराईमल, (19) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–भगवानुर, (20) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–तरकेला, (21) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–उर्दना, (22) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–उर्दना, (23) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–तुमिडीह, (24) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–गोरखा, (25) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–पूंजीपथरा एवं (26) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–जमदाबी में किया जाना प्रस्तावित है। सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्यों (Principals) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उद्योग की स्थापना एवं आवागमन के लिए सड़क का उपयोग किये जाने हेतु ग्राम पंचायत पाली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. वनमण्डलाधिकारी, जिला–रायगढ़ से आरक्षित एवं संरक्षित वनों के अत्यंत निकट लौह उद्योग की स्थापना किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया जाए।
4. हाथियों के संरक्षण हेतु तैयार 5 वर्षीय योजना की राशि बहुत कम प्रतीत हो रही है। चर्तुथ एवं पंचम वर्ष में राशि बहुत ही कम है। वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रथम 5 वर्षों हेतु यह राशि कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यो की आवश्यकता के अनुरूप हो। अतः इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैवविविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर से पुनःरीक्षित/जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. उद्योग की आयु (Life of Industry) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करे कि परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा करेगें।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे कि उनके प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों से –
    i. वन भूमि पट्टिका (Forest Land Scape) में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जावेगा।
    ii. वन प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
    iii. कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्थानीय ग्रामीणों की वन आधारित आजिविका प्रभावित होती हो।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फिनॉलिक वॉटर का पूर्ण निष्पादन बताये गये विधि से किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रक्रिया के अंत में जो फिनॉलिक वॉटर अवशेष के रूप में उत्पन्न होगा उसे परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निष्पादित किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती अरूणा जोगेवार), ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1274)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 127754/ 2019, दिनांक 25/03/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 72067/ 2020, दिनांक 04/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक – 252, कुल क्षेत्रफल–0.85 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 10,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/12/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र जोगेवार, अधिकृत प्रतिनिधि एवं मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस

बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 252, कुल क्षेत्रफल – 0.85 हेक्टेयर, क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4358/ख.लि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 06/11/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2008–09	1,690	2014–15	निरंक
2009–10	1,920	2015–16	
2010–11	2,450	2016–17	
2011–12	1,895	2017–18	3,500
2012–13	3,550	2018–19	2,900
2013–14	400	2019–20	2,600

v. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसारः–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of

Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है। जिससे समिति सहमत हुई।

vi. इस संबंध में समिति का मत है कि मार्च 2020 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बल्देवपुर का दिनांक 27/12/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (एलॉग विथ इन्व्हायरोमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2017/3534 रायपुर, दिनांक 07/03/2017 द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि टी.ओ.आर. के दौरान संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4268/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 6.357 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1661/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 06/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. **भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती अरूणा जोगेवार के नाम पर थी। लीज डीड 3 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/11/1992 से 19/11/1995 तक की अवधि हेतु थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 20/11/1995 से 19/11/1998 तक की अवधि हेतु, द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 20/11/1998 से 19/11/2008 तक की अवधि हेतु एवं तृतीय नवीनीकरण दिनांक 20/11/2008 से 19/11/2013 तक की अवधि हेतु किया गया था। तत्पश्चात् लीज डीड में 9 वर्षों की दिनांक 20/11/2013 से 19/11/2022 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 25/2256 खैरागढ़, दिनांक 01/07/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 4.05 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कलकसा 900 मीटर, स्कूल ग्राम–बल्देवपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल खैरागढ़ 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.2 कि.मी. दूर है। अमनेर नदी 4.8 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,55,000 टन, माईनेबल रिजर्व 87,180 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 53,460 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,079 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर थी, जिसे पूर्व में ही उत्खनित कर लिया गया है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार वास्तविक उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2017–18	10,000	3,500
2018–19	10,000	2,900
2019–20	10,000	2,600
2020–21	10,000	7,100
2021–22 (दिनांक 31 / 12 / 2021)	10,000	2,900

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,000
द्वितीय	10,000
तृतीय	10,000
चतुर्थ	10,000
पंचम	10,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	76,000	7,600	7,600	7,600	7,600
	फेंसिंग हेतु राशि	1,26,900	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	7,500	750	750	750	750
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	2,46,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 13,53,800		**4,56,400**	**2,24,350**	**2,24,350**	**2,24,350**	**2,24,350**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,079 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्वी दिशा में 412.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक, पश्चिमी दिषा में 1,125 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक, उत्तरी दिशा में 990 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिणी दिशा में 240 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 80,100/– लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/06/2022 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 80,100/– खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	25.32	44.77	60
PM_{10}	47.22	67.15	100
SO_2	7.24	14.68	80
NO_2	11.31	20.33	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	47.89	54.87	75
Night L_{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में **48** पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 54 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 11 खदानों द्वारा सामूहिक रुप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिशीघ्र करने की कृपा करें। लीज समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं तो उस खदान के चारो तरफ तार कांटो का घेरा किया जाना

चाहिए। पूर्व में खदान में 5–7 जानवर गिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़ें के खेत में चले जाते हैं एवं ब्लास्टिंग के पूर्व किसी प्रकार से सुचना नही दी जाती हैं, जिससे खेत में कार्यरत मजदूर शारीरिक क्षति होती है।

iii. खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतो में पानी नही पहुँच पाता। गांव में सिचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार हैः–

i. प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारो ओर तथा कच्ची सडक के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को चारो तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में ना गिरे।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगो को सुचना दी जाएगी।

iii. हमारे द्वारा नालियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी भरा हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामिणों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित हैः–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. पहुँच मार्ग के दोनों	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,98,292	18,772	18,772	18,772	18,772

तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	फेंसिंग हेतु राशि	19,73,600	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	18,600	1,860	1,860	1,860	1,860
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	13,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000
कुल राशि = 70,93,020		**35,54,492**	**8,84,632**	**8,84,632**	**8,84,632**	**8,84,632**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
227 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (151 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	11,476	1,140	1,140	1,140	1,140
	फेंसिंग हेतु राशि	1,20,800	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	1,200	120	120	120	120
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	83,081	53,081	53,081	53,081	53,081
कुल राशि = 4,33,921		**2,16,557**	**54,341**	**54,341**	**54,341**	**54,341**

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at nearby,	

			Village-Kalkasa	
			Pavitra Van Nirman	10.14
			Total	**10.14**

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 768 नग पौधों के लिए राशि 27,648 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,49,648 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,488 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कलकसा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 0.48 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि वर्तमान में प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें होना बताया गया है जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें क्लस्टर में आती है। अतः समिति का मत है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का भी उल्लेख किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. मार्च 2020 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. टी.ओ.आर. के दौरान संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

9. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यो हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

10. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

11. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत "खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतो में पानी नही पहुँच पाता। गांव में सिचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।" यह शिकायत अत्यंत गंभीर प्रकृति की है। जिसका समाधान कारक उत्तर परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं दिया गया है। अतः इस संबंध में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही जल संसाधन विभाग, संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

9. मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनिंदर सिंह गरचा), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1081ए)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42860/ 2019, दिनांक 18/10/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था।

वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42860/ 2019, दिनांक 09/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक – 106/2 एवं 3, कुल क्षेत्रफल–0.608 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–14,625 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनिंदर सिंह गरचा, प्रोपराईटर एवं मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 106/2 एवं 106/3, कुल क्षेत्रफल–0.608 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–14,625 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी

पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1341/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2022 के अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
अगस्त 2009 से दिसंबर 2009	551	जनवरी 2017 से दिसंबर 2017	570
जनवरी 2010 से दिसंबर 2010	2,057	जनवरी 2018 से दिसंबर 2018	649
जनवरी 2011 से दिसंबर 2011	2,130	जनवरी 2019 से दिसंबर 2019	1,339
जनवरी 2012 से दिसंबर 2012	1,850	जनवरी 2020 से जून 2020	7,700
जनवरी 2013 से दिसंबर 2013	6,050	जुलाई 2020 से दिसंबर 2020	निल
जनवरी 2014 से अगस्त 2014	17,600	जनवरी 2021 से जून 2021	625
सितंबर 2014 से सितंबर 2016	निरंक	जुलाई 2021 से दिसंबर 2021	निल
अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016	150	जनवरी 2022 से मार्च 2022	3,800

v. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है।

समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रेल 2021 से मार्च 2022 के मध्य किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 22/02/2003 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाइड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्वायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो कि संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 843/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1342/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानें, क्षेत्रफल 38.318 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवष्यक है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज श्री मनिंदर सिंह गरचा के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/08/2009 से 17/08/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/08/2014 से 17/08/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्रं. 10–2/2019/13198 राजनांदगांव, दिनांक 24/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र में ग्राम चवेली का उल्लेख है। अतः ग्राम डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव तथा खसरा नम्बर सहित आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ठेलकाडीह 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–ठेलकाडीह 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल ठेलकाडीह 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.6 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,64,800 टन, माईनेबल रिजर्व 1,18,822 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 81,583 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,082 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,540 घनमीटर है, जिसे पूर्व में ही उत्खनित कर लिया गया है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,500	षष्टम	8,500
द्वितीय	8,500	सप्तम	8,500
तृतीय	8,500	अष्ठम	8,500
चतुर्थ	8,500	नवम	8,500
पंचम	8,500	दशम	8,500

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 328 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (328 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	24,928	2,508	2,508	2,508	2,508
	फेंसिंग हेतु राशि	41,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	2,460	240	240	240	240
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	2,46,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 11,89,380		**3,14,388**	**2,18,748**	**2,18,748**	**2,18,748**	**2,18,748**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,082 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्वी दिशा में 130 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक, पश्चिमी दिशा में 630 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, उत्तरी दिशा में 130.5

वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिणी दिशा में 472.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित संषोधित माईनिंग प्लान में किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 1,01,000/– लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2022 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 1,01,000/– खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 12 स्थानों पर परिवेषीय वायु गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 12 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विष्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level ($\mu g/m^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum ($\mu g/m^3$)**	**Maximum ($\mu g/m^3$)**	**CPCB Standard ($\mu g/m^3$)**
$PM_{2.5}$	21.39	40.45	60
PM_{10}	42.65	65.33	100
SO_2	5.09	9.87	80
NO_2	9.48	15.95	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent	**Minimum**	**Maximum**	**CPCB Standard**

Noise level	dB (A)	dB (A)	dB (A)
Day L_{eq}	43.2	61.1	75
Night L_{eq}	37.9	54.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 73 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.06 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.07 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 17/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम – डुमरडीहकला, तहसील व जिला – राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 31 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 17 खदानों द्वारा सामूहिक रुप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे डाल दिया जाता है एवं 7 एकड़ भूमि पर मिट्टी डाल दिया गया है। गांव में मवेशियों के लिये चारा नहीं बचता है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरार आ जाती है। ब्लास्टिंग के समय बवेली में चलना दुर्भर होता है, ब्लास्टिंग करने के दौरान सड़क बंद कर दिया जाता है।

iii. खदान में काम करने वाले श्रमिकों को जरूरत की सुविधाऐं प्रदान नहीं की जाती है। क्रशर सड़क से लगा हुआ है, उसके चलने के कारण कई एक्सीडेंट हो चुके है, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

iv. गांव के पास शासकीय भूमि का अवैध रूप से उत्खनन किया जाता है। वृक्षारोपण तथा जल छिड़काव का कार्य भी नहीं किया जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार हैः–

i. खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे नहीं डाला जाएगा, उसे खदान के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे ग्रामीणों को कम नुकसान या परेशानी नहीं होगी।

iii. खदान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

iv. माईनिंग प्लान के अनुसार ही उत्खनन कार्य किया जाएगा। खदान के बाउण्ड्री तथा हॉल रोड में वृक्षारोपण का कार्य निश्चित रूप से किया जाएगा। वृक्षारोपण एवं धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए सड़क पर दो से तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 31 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
4.7 कि.मी. पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (3,133 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	2,38,108	23,788	23,788	23,788	23,788
	फेंसिंग हेतु राशि	25,06,400	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	16,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000
कुल राशि = 88,78,660		**44,51,508**	**11,06,788**	**11,06,788**	**11,06,788**	**11,06,788**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
123 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (82 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	6,232	608	608	608	608
	फेंसिंग हेतु राशि	65,600	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	600	60	60	60	60
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	32,745	27,745	27,745	27,745	27,745
कुल राशि = 2,18,829		**1,05,177**	**28,413**	**28,413**	**28,413**	**28,413**

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कडाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 31 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः 17 खदानें ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कार्य किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त 17 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से सी.ई.आर. के अंतर्गत (1) गांव के पहुंच मार्ग में वृक्षारोपण (2) श्मषान घाट के चारों तरफ 10 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण (3) बड़े तालाब पर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण कार्य किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत डुमरडीहकला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (क्रमषः खसरा क्रमांक 802, 818/2, 804, क्षेत्रफल 0.635 हेक्टेयर, 0.324 हेक्टेयर, 0.267 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है तथा सी.ई.आर. के अंतर्गत 17 खदानों हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

(1) ठेलकाडीह सरहद से ग्राम डुमरडीकला के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ (कुल लम्बाई 1.4 कि.मी.) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए 76,000 राशि रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 7,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,16,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,99,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,97,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(2) शमशान घाट के चारों तरफ 10 मीटर की चौड़ी पट्टी (क्षेत्रफल 3,240 वर्गमीटर) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 72 नग पौधों के लिए राशि 8,352 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 67,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,980 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,23,332 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,68,180 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(3) बड़े तालाब (क्षेत्रफल 9,020 वर्गमीटर) पर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 11,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,750 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,66,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,60,350 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,69,740 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
25	2%	0.5	Following activities at nearby, **Village-Dumardihkala**	
			Plantation with fencing in periphery of village pond area	11.91
			Total	**11.91**

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त कार्यों में से सी.ई.आर. के अंतर्गत बड़े तालाब (क्षेत्रफल 7,500 वर्गमीटर) पर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 11,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,750 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 37,477 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,31,827 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 95,648 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का भी उल्लेख किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. विगत वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य) में किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. ग्राम डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव तथा खसरा नम्बर सहित आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

5. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।

6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

11. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाए।

12. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

13. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

10. मेसर्स बल्देवपुर लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती राखी दुरहाटे), ग्राम–बल्देवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1005)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42870, दिनांक 07/11/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 72086/ 2019, दिनांक 16/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बल्देवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक – 875/1, 875/2, 875/3, 875/4, 875/5, 875/6 एवं 875/7, कुल क्षेत्रफल – 1.112 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 25,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/05/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अखिलेश दुरहाटे, अधिकृत प्रतिनिधि एवं मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक – 875/1, 875/2, 875/3, 875/4, 875/5, 875/6 एवं 875/7, कुल क्षेत्रफल – 1.112 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला

स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 की अवधि तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 280/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 26/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2012–13	670
2013–14	8,062.95
2014–15	22,740
2015–16 (दिसम्बर 2015)	21,243
दिनांक 01/01/2016–14/11/2016	निरंक
2016–17 (दिनांक 15/11/2016–31/03/2017)	10,920
2017–18	24,980
2018–19	24,910
2019–20 (दिसम्बर 2019)	9,730

v. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है। जिससे समिति सहमत हुई।

vi. इस संबंध में समिति का मत है कि उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बल्देवपुर का दिनांक 31/12/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्वायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 4506/खनि 02/मा.प्ल. अनुमोदन/न.क्र.05/2019(4) नवा रायपुर, दिनांक 24/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2784/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 7.11 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2784/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नही है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज श्रीमती राखी टुरहाटे के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षो अर्थात् 19/03/2012 से 18/03/2022 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/03/2022 से 18/03/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./198 खैरागढ़, दिनांक 11/01/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बल्देवपुर 700 मीटर, स्कूल ग्राम–बल्देवपुर 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल खैरागढ़ 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.2 कि.मी. दूर है। तालाब 1.7 कि.मी. एवं अमनेर नदी 6 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,67,200 टन, माईनेबल रिजर्व 2,83,612 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,29,918 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,063 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर थी तथा कुल मात्रा 12,966 घनमीटर थी, जिसे पूर्व में ही उत्खनित कर लिया गया है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,000
द्वितीय	25,000
तृतीय	25,000
चतुर्थ	25,000
पंचम	25,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 766 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (766 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	59,216	5,852	5,852	5,852	5,852
	फेंसिंग हेतु राशि	98,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	5,820	600	600	600	600
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	2,46,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 12,98,844		**4,09,036**	**2,22,452**	**2,22,452**	**2,22,452**	**2,22,452**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,063 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिषा में 604.5 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक, पष्चिम दिषा में 384 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक, उत्तर दिषा में 630 वर्गमीटर क्षेत्र 3.5 मीटर की गहराई तक तथा दक्षिण दिषा में 667.5 वर्गमीटर

क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित मॉडिफाईड माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवष्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	25.32	44.77	60
PM_{10}	47.22	67.15	100
SO_2	7.24	14.68	80
NO_2	11.31	20.33	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47.89	54.87	75
Night L_{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में **48** पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 9 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 57 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 11 खदानों द्वारा सामूहिक रुप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिशीघ्र करने की कृपा करें। लीज समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं तो उस खदान के चारो तरफ तार कांटो का घेरा किया जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5–7 जानवर गिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़ें के खेत में चले जाते हैं एवं ब्लास्टिंग के पूर्व किसी प्रकार से सुचना नही दी जाती हैं, जिससे खेत में कार्यरत मजदूर शारीरिक क्षति होती है।

iii. खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतो में पानी नही पहुँच पाता। गांव में सिचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारो ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे

वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को चारो तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में ना गिरे।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगो को सुचना दी जाएगी।

iii. हमारे द्वारा नालियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी भरा हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामिणों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,98,292	18,772	18,772	18,772	18,772
	फेंसिंग हेतु राशि	19,73,600	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	18,600	1,860	1,860	1,860	1,860
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	13,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000
कुल राशि = 70,93,020		**35,54,492**	**8,84,632**	**8,84,632**	**8,84,632**	**8,84,632**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
297 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (198 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	15,048	1,520	1,520	1,520	1,520
	फेंसिंग हेतु राशि	1,58,400	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	1,500	150	150	150	150
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,14,220	69,220	69,220	69,220	69,220
कुल राशि = 5,72,728		**2,89,168**	**70,890**	**70,890**	**70,890**	**70,890**

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कडाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at nearby, **Village-Baldeopur**	
			Pavitra Van Nirman	12.20
			Total	**12.20**

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 38,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 49,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,36,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,27,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,93,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बल्देवपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 787/1, क्षेत्रफल 0.2 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि वर्तमान में प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें होना बताया गया है जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें क्लस्टर में आती है। अतः समिति का मत है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत

किया जाना आवश्यक है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का भी उल्लेख किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौडी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
9. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म,

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

10. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत "खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतो में पानी नही पहुँच पाता। गांव में सिचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।" यह शिकायत अत्यंत गंभीर प्रकृति की है। जिसका समाधान कारक उत्तर परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं दिया गया है। अतः जल संसाधन विभाग से जांच उपरांत प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जायें।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही जल संसाधन विभाग, संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कुलदियुस तिर्की)	**(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)**
सदस्य सचिव	अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़